

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.
 पत्रावली संख्या : 202/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

Supreme Housing Finance Limited जरिये प्राधिकृत अधिकारी Sonu Mehrol
 Registered Office:- 2nd Floor, Harsha bhawan, 13/29, E-Block, Middle Cricle,
 Connaught Place, New Delhi-110001

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. SHARDA DEVI W/O JAGDISH PRASAD, WARD NO. 7, RAHNAWA, SIKAR, RAJASTHAN-332401
2. PAWAN KUMAR S/O JAGDISH PRASAD,
 Address 1:- WARD NO. 7, RAHNAWA, SIKAR, RAJASTHAN-332401
 Address 2:- H.NO. 102, HARIJAN BASTI, RAHANAVA, VILL. RAHNAWA
 MADHOPURA, THE. LAXMANGARH, DIST. SIKAR, RAJASTHAN

—अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.



स्वीकृति आदेश

दिनांक: 03 नवम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री त्रिलोक सिंह शेखावत द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः SHARDA DEVI W/O JAGDISH PRASAD एवं PAWAN KUMAR S/O JAGDISH PRASAD की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति ALL THAT PIECE AND PARCEL OF A RESIDENTIAL PROPERTY PATTA NO. 23, SITUATED AT VILLAGE RAHNAWA, TEHSIL LAXMANGARH, DISTRICT SIKAR, RAJASTHAN-332401 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 276.50 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में पोखरमल पुत्र राजूराम का मकान, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में हरिसिंह पुत्र नारायणराम का


 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मकान एवं दक्षिण दिशा में फूलाराम पुत्र पोखरमल का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹3,54,000/- (अक्षरे रूपये तीन लाख चौवन हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 10.06.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 10.06.2024 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः SHARDA DEVI W/O JAGDISH PRASAD एवं PAWAN KUMAR S/O JAGDISH PRASAD की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति ALL THAT PIECE AND PARCEL OF A RESIDENTAL PROPERTY PATTA NO. 23, SITUATED AT VILLAGE RAHNAWA, TEHSIL LAXMANGARH, DISTRICT SIKAR, RAJASTHAN-332401 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 276.50 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में पोखरमल पुत्र राजूराम का मकान, पश्चिम दिशा में

१

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



आम रास्ता, उत्तर दिशा में हरिसिंह पुत्र नारायणराम का मकान एवं दक्षिण दिशा में फूलाराम पुत्र पोखरमल का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **03 नवम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर